न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवा म०प्र० निग 4205 III-14

निगरानी प्रकरणक्रमांक 4205 III/2014

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs. 20/-

829
29.11.14

कृष्णबिहादुर सिंह तनय विजबहादुर सिंह उम्र 60 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी ग्राम उमरिहा 59 तहसील गुढ, जिलारीवा म०प्र०--- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1- रामजी गुप्ता तनय श्री मोहनलाल गुप्ता निवासी ग्राम देवरा, :फरेदा: पो० मनिकवार, तह० रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म०प्र०

2- सुनीता सिंह पत्नी स्व० श्री हरिनंदन सिंह निवासी ग्राम उमरिहा थाना व तह० गुढ, जिलारीवा म०प्र० ----- --- गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश माननीय न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गुढ़ के प्रकरण क्र० 15/अ-6/2013-14 आदेश दिनांक 10-11-14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन 1959ई०

श्री ... तिवारी एड के द्वारा आज दिनांक 29.11.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

3884
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त
6.12.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य

यह कि पुनरीक्षणकर्ता उपरोक्त ग्राम उमरिहा के पुस्तैनी निवासी हैं एवम गैरपुनरीक्षणकर्ता क्र०2 भी ग्राम उमरिहा की निवासिनी हैं, जिनकी पुस्तैनी आराजी खसरा नं० 137,142,143, 348/2, किता 4 कुल रकबा०-444 हे० स्थित मौजा उमरिहा तहसील गुढ, सहखातेकी आराजियात हैं, जिनका पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक2 के पति हरिनंदन सिंह द्वारा एकपक्षीय रूपसे चोरी छिपे तहसीलदार महोदय, गुढ, से खाता विभाजन का आदेश करा

अवैधतरीके से

-2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 4205-तीन/14 जिला रीवा

कृष्ण बहादुर सिंह / रामजी गुप्ता वगैरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-16	प्रकरण मे आवेदक एवं आवेदक अभि० को तीन बार पुकार लगवाई गई। न्यायालयीन समयावधि मे आवे० एवं आवेदक अभि० अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण आवेदक एवं आवे० अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे प्रकरण क्रम पे० की मे निरस्त किया जाता है प्रकरण दाखिदफ्तर पश्चात् रखि जावे। सत्य	

[कृ. प. उ.